

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 11/2022

मुकेश कुमार किलाणिया पुत्र नारायणलाल जाति बलाई(मेघवाल) निवासी वार्ड नं0 5
भैरूपुरा रॉयल तहसील खण्डेला जिला सीकर

-वादी-

बनाम

1. सुमेधानन्द सरस्वती पुत्र मायाराम आर्य जाति जाट निवासी वैदिक आश्रम ग्राम
पिपराली तहसील व जिला सीकर
2. उप पंजीयक मुद्रांक सीकर

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत विक्रयपत्र दिनांकित 17.7.2020 अवैध, शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने
एवं स्थाई निषेधा प्रसारणार्थ अं0 धारा 88 व 188 रा0का0अधिनियम

वादी का वाद भूमि खसरा नम्बर 383 रकबा 3.6600 है0 वाके ग्राम गोकुलपुरा
तहसील व जिला सीकर का आवासीय कॉलोनी में विक्रित किये गये भूखण्ड को
प्रभावहीन व शून्य घोषित करने का होने के कारण इस न्यायालय को उसका
क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

(गरिमा लाटा)


उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख

को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी सीकर